

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड़, देहरादून- 248001

Email id-ceo\_uttaranchal@eci.gov.in फोन न०(0135) - 2713551

संख्या-3145/XXV-12(P-14)/2021 देहरादून : दिनांक 30 मई, 2024

सेवा में,

श्री देवीप्रसाद पाण्डेय,  
शक्ति विहार  
निकट जे0पी0 प्लाजा  
कारगी रोड़ देहरादून।  
मो0-8218600034

विषय-  
महोदय,

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रथम अपील पर सुनवाई के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपने अपीलीय पत्र दिनांक 24.05.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या-2991 दिनांक 16.05.2024 के द्वारा आपके अनुरोध पत्र दिनांक 08.05.2024 के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किये गये हैं।

2- उक्त अपील के सम्बन्ध में सुनवाई हेतु दिनांक 19 जून, 2024 की तिथि समय-12:00 बजे अपरान्ह निर्धारित की गयी है।

अतः अनुरोध है कि उक्त नियत दिनांक व समय पर कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर, 04-सुभाष रोड़, देहरादून में अपील पर सुनवाई हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें। साथ ही यह भी अनुरोध करना है कि यदि आप सहमत हों तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय में उपस्थित होकर वांछित अभिलेखों का अवलोकन कर सकते हैं।

भवदीय,

Signed by Mastu Das

Date: 30-05-2024 17:14:01

(मस्तू दास)

अपीलीय अधिकारी एवं  
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

3145  
प०संख्या- /XXV- 12( P-14) /2021. तददिनांक।

प्रतिलिपि-अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(मस्तू दास)

अपीलीय अधिकारी एवं  
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

सूचना का अधिकार E-Mail

सेवा में

श्रीमान प्रथम अपीलार्थी अधिकारी  
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी

Immediate

विश्वकर्मा भवन प्रथम तल

सचीवालय पारिस्वर, 4 सुभाष रोड, देहरादून 248001  
मौ० न० 98979539

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

संदर्भ नमि राशिकापती पत्र दि० 20-4-2024.

2) मेरा शिकापती पत्र दि० 20-4-2024 8/5-2024

3) लो० सू० अ० मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं० 2991/स्व-12(P-14)/2021 दे० दि० 16-5-24.

महोदय, कृपया संदर्भ में दिये गये पत्रों को ग्रहण करने की कृपया करें, इस सम्बन्ध में मेरी निम्न प्रकार की आपत्तियाँ

1- संदर्भ में अंकित क्रिये पत्र दि० 16-5-2024 में लो० सू० अ० द्वारा पत्र में हस्ताक्षर नहीं किये हैं, नही बिन्दु 1 की सूचना सफल

2- इस प्रकरण के सम्बन्ध में मैंने जिला अधिकारी देहरादून/जिला निर्वाचन अधिकारी को इस प्रकरण के सम्बन्ध में 15-4-2024 अज्ञात करा चुका हूँ,

3- उपरोक्त पत्र में दी गई सूचनायें मुझे आधी अधुरी दी गई है, बिन्दु 2 से 7 तक की सूचनायें अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई हैं, नही वोट कार्ड प्राप्त हुआ है,

4- उपरोक्त कथानुसार भेजी गई सूचनाओं से समाधान नहीं है, मैं लो० सू० अ० द्वारा समस्या का हलवीक प्रकार से हल न किये जाने के कारण मैं समाधान/विस्तार हेतु अपील करता हूँ.

स्थान: देहरादून  
दि० 23-5-2024

24

श्री. श्री. S. Jindery  
देवी प्रसाद पांडेय  
शांति विहार  
मि० 23 जे पी० प्लाजा  
कार्गी रोड 248001  
देहरादून 24

(फ़ोन-8218600034)

**कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड**

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड़, देहरादून

Email id-ceo\_uttaranchal@eci.gov.in फ़ैक्स नं० (0135) -2713724 फ़ोन नं०(0135) - 2713551

संख्या 3396/xxv-12(P-14)/2021 देहरादून: दिनांक 20 जून 2024**आदेश**

अपीलकर्ता श्री देवी प्रसाद पाण्डेय, शक्ति विहार निकट जे0पी0प्लाजा कारगी रोड़ देहरादून द्वारा ईमेल दिनांक 24.05.2024 के माध्यम से अपील हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त के कम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 3145 दिनांक 30 मई, 2024 के माध्यम से अपील की सुनवाई हेतु दिनांक 19 जून, 2024 की तिथि समय अपराह्न 12.00 बजे नियत की गयी थी।

अपील के समय लोक सूचना अधिकारी उपस्थित रहे। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि अपीलकर्ता को कार्यालय पत्रांक 2991 दिनांक 16 मई, 2024 के माध्यम से बिन्दु संख्या-01 की सूचना उपलब्ध करा दी गयी थी तथा बिन्दु संख्या 02 से 07 तक की सूचना लोक सूचना अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी, देहरादून से सम्बन्धित होने के कारण 6(3) में कार्यालय पत्रांक 2991 दिनांक 16 मई, 2024 के माध्यम से हस्तान्तरित कर दी गयी थी।

अपीलकर्ता से मोबाइल के माध्यम अपील सुनवाई की गई। अपीलकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि मैं 83 वर्ष का हो गया हूँ आने-जाने में असमर्थ हूँ एवं मुझे सूचना के अधिकार सम्बन्धी पत्र बिना हस्ताक्षर के प्रेषित किया गया। उन्हें अवगत कराया गया कि उक्त पत्र लोक सूचना अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरोपरान्त प्रेषित किया गया है।

अपील सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि मेरा नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाय एवं फोटो पहचान पत्र Epic भी उपलब्ध कराया जाय। अपीलकर्ता को अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में Eronet के माध्यम से नाम सम्मिलित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है एवं एक माह के समयान्तर्गत अपीलकर्ता को फोटो पहचान पत्र निर्मित कर उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रकार अपीलकर्ता द्वारा सन्तुष्ट हुए।

उक्तानुसार प्रथम अपील का निस्तारण किया जाता है।

**Signed by Mastu Das****Date: 20.06.2024 17:47:04**

प्रथम अपीलीय अधिकारी/  
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

**संख्या 3396/xxv-12(P-14)/तद दिनांकित।**

- प्रतिलिपि:- 1. अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि वह उक्तानुसार ससमय कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को अवगत कराना सुनिश्चित करें।  
2. श्री देवीप्रसाद पाण्डेय, शक्ति विहार निकट जे0पी0प्लाजा कारगी रोड़ देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रथम अपीलीय अधिकारी/  
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

सेवा में

श्रीमान प्रथम अपीलार्थी अधिकारी  
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
विश्वकर्मा भवन प्रथम तल  
सचीवालय पारिसर, 4 सुभाष रोड, देहरादून 248001

Immediate

मौ नं० 98979559

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, संदर्भ नमर शिकायती पत्र दि० 20-4-2024.

- 2) मेरा शिकायती पत्र दि० 20-4-2024 8/9-5-2024
- 3) लो० सू० अ० मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं० 2991/XXV-12(E-14)/2021 दे० दि० 16-5-24

महोदय, कृपया संदर्भ में दिये गये पत्रों को ग्रहण करने की कोशिश करें, इस सम्बन्ध में मेरी निम्न प्रकार की आपत्तियाँ हैं:-

1. संदर्भ में अंकित किये पत्र दि० 16-5-2024 में लो० सू० अ० द्वारा पत्र में हस्ताक्षर नहीं किये हैं, नही बिन्दु की सूचना सफल है।
2. इस प्रकरण के सम्बन्ध में मैंने जिला अधिकारी देहरादून/जिला निर्वाचन अधिकारी को इस प्रकरण के सम्बन्ध में 15-4-2024 अज्ञात करा चुका है।
3. उपरोक्त पत्र में दी गई सूचनायें मुझे आधी अधुरी दी गई है, बिन्दु 2 से 7 तक की सूचनायें अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई हैं। मैंने भी वोट कार्ड प्राप्त हुआ है।
4. उपरोक्त कथानुसार भजी गई सूचनाओं से निराश नहीं हूँ, मैं लो० सू० अ० द्वारा समस्या का हल्की प्रकार से हल न किये जाने के कारण मैं समाज का समाधान/विस्तार हेतु अपील कर रहा हूँ।

R  
18/6/2024

स्थान: देहरादून  
दि० 23-5-2024

श्रीमान श्रीमान  
देवी प्रसाद पाण्डेय  
श्रीमान विहार  
जि० अ० पी० एन०  
बाराही रोड 248001

नोट: मैंने दि० 23/5-2024 (फोन-8218600034)

को E-Mail द्वारा इस प्रकरण हेतु